

कम्प्यूटर-परिपत्र सं० 1617040 दिनांक 13-10-2016

पत्र संख्या-आई0टी0/ एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/ 654

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनांक // लखनऊ // अक्टूबर, 13 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/648/1617038/ दिनांक 07.10.2016 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रस्तावित जी0एस0टी0 व्यवस्था हेतु विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के पैन अपडेशन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि व्यापारी द्वारा दिनांक 31.10.2016 तक PAN के updation की कार्यवाही को पूर्ण नहीं किया जाता है तो सर्वेक्षण के उपरान्त व्यापारी के टिन को निरस्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाये।

2- आप अवगत हैं कि GST व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक है कि वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत ऐसे व्यापारी जिनका PAN सत्यापित किया जा चुका है उनको GSTN के डाटाबेस में माईग्रेशन किया जाना अति आवश्यक है। GSTN द्वारा विभाग के डाटाबेस माईग्रेशन हेतु दिनांक 15.12.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक का समय निर्धारित किया गया है। अतः आवश्यक है कि उक्त अवधि के पूर्व विभागीय डाटाबेस में उपलब्ध समस्त PAN के सत्यापन के कार्य को पूर्ण कर लिया जाये।

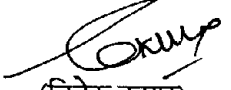
3- प्रत्येक लोकेशन की PAN अपडेट करने के प्रभावी अनुश्रवण तथा समन्वय प्रत्येक लोकेशन पर नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये जाते हैं तथा नामित नोडल अधिकारी की सूचना निम्न प्रारूप में ई-मेल आई0डी0 ctithqlu-up@nic.in पर मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें:-

क्रम संख्या	लोकेशन का नाम	नामित नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम	सी0यू0जी0/मोबाइल नम्बर	ई-मेल आई0डी0
1	2	3	4	5

4- PAN अपडेशन हेतु नामित नोडल अधिकारी के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे:-

- 1- लोकेशन पर PAN अपडेशन होने में आ रही समस्याओं का NIC के माध्यम से निस्तारण।
- 2- लोकेशन में कार्यालयवार PAN अपडेशन की स्थिति का सम्बंधित ज्वाइंट कमिशनर तथा एडीशनल कमिशनर के ई-मेल पर प्रेषण करना।
- 3- ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा PAN, ई-मेल आई0डी0, तथा मो0 नम्बर अपडेट नहीं किया गया है तथा जिनके द्वारा विभागीय ऑनलाइन सर्विसेज का प्रयोग नहीं किया जा रहा है उनके सम्बंध में व्यापारी सुविधा केन्द्र से जारी की जाने वाली रसीद में विवरण अंकित हो रहा है। ऐसे समस्त व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए डाटा अपडेशन के कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिशनर(जी0एस0टी0), वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।